न्यायालय–जिला न्यायाधीश, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **नाहर सिंह मीणा, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल अपील प्रकरण सं. :– **11/2021**

सी.एन.आर. नंबर :– **RJDK**010005372021

हाकम अली खां पुत्र असगर खां, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम सरदारपुरा कला, पोस्ट छोटी छापरी, तह. डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।

–अपीलार्थी

बनाम

रूखसार बानो पत्नी हाकम अली खां पुत्री मुराद खां, उम्र 26 साल, निवासी छोटी छापरी (छापरी खुर्द) तह. डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।

–प्रत्यर्थी

अपील अधीन आदेश 96 सपठित आदेश 41 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

अपील विरुद्ध निर्णय, आदेश एवं डिक्री दिनांक 03.03.2020 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, डीडवाना, पीठासीन अधिकारी रंजना (आर.जे.एस.) द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 26/2018 बउनवान रूखसार बानो बनाम हाकम अली खां, वाद–पत्र बाबत् घोषणा तलाक व डिक्री में पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री मोहम्मद अली शेरानी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से ।

– आदेश –

दिनांक 28.03.2026

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी हाकम अली खां द्वारा प्रत्यर्थी रूखसार बानो के विरूद्ध, सिविल न्यायाधीश, डीडवाना (जिसे आगे निर्णय के दौरान विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित

किया जायेगा) द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 26/2018 बउनवान रूखसार बानो बनाम हाकम अली खां में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 03.03.2020 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 17.03.2020 को प्रस्तुत की गई है ।

2. अपीलार्थी के अनुसार हस्तगत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध एक वादपत्र वास्ते घोषणा तलाक एवं डिक्री का इस आशय का पेश किया कि वादीनी रूखसार बानो की शादी प्रतिवादी हाकम अली के साथ मुस्लिम शरियत व रिती–रिवाजों के साथ दिनांक 02.12.2009 को ग्राम छोटी छापरी (छापरी खुर्द) में संपन्न हुयी थी। निकाह के समय सामाजिक रस्मों–रिवाजों के अनुसार वादीनी को स्त्रीधन के रूप में सामान नकदी एवं सोने–चांदी के आभूषण दिए थे, जो प्रतिवादी को सुपुर्द कर दिए थे। वादिया के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही प्रतिवादी व ससुराल वालों ने वादीनी के माता–पिता द्वारा निकाह के समय स्त्रीधन के रूप में दिए सामान व नकदी को बहुत ही कम होना बताया व कहा कि उनकी हैसियत के मुताबिक मारूति शिफ्ट कार दहेज मे नहीं देकर उनकी नाक कटा दी। प्रतिवादी व ससुराल वालों ने वादीनी को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया व प्रतिवादी द्वारा अन्य परिवार वालों के साथ मिलकर वादीनी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करता रहा। प्रतिवादी व उसके परिवार वालों ने वर्ष 2011 मे वादीनी को उसके पिता के घर से 10,00,000/– रुपए नकद लाने की मांग की व दबाव बनाने पर वादीनी के पिता ने मजबूरीवश 4 लाख रुपए दिए। अप्राकृतिक मैथुन संबंधी आरोप लगाते हुए अपीलार्थी की मांग पूरी नहीं करने पर वादीनी के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई करने व मारपीट कर अकेले ही पीहर भेज देने तथा उसके साथ किए गए क्रूरतापूर्व व्यवहार के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए अपीलार्थी ने आगे अपील में उल्लेखित किया है कि वादीनी की ओर से प्रतिवादी व ससुराल वालों के कृत्यों के विरुद्ध पुलिस थाना डीडवाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 277/2015 दर्ज करवाई जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में आरोप–पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष पेश किया गया। प्रतिवादी हाकम अली ने जमीला बानो से निकाह कर ली है तथा दूसरे विवाह से एक बच्चा भी हो चुका है। अंत मे वादीनी ने पक्षकारान के बीच दिनांक 02.12.2009 को हुई शादी को विघटित घोषित किए जाने का निवेदन किया।

3. वादीनी के उक्त वादपत्र का जवाबदावा प्रतिवादी की ओर से पेश कर पक्षकारान मुस्लिम विधि अनुसार विवाहित पति–पत्नी होना स्वीकार करते हुए वादीनी के वादपत्र में अंकित

अन्य संपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादीनी का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए–

1. आया वादिया दिनांक 02.12.2009 को प्रतिवादी के साथ हुए विवाह का विघटन करवाने की अधिकारी है?

.....वादी

2. आया वादिया का वाद वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है?

...प्रतिवादी

3. अनुतोष?

5. उक्त तनकीयात के संबंध में वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 रूखसार बानो को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 असल निकाहनामा जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–1ए, प्रदर्श 2 असल मैरिज सर्टिफिकेट, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–2ए को प्रदर्शित करवाए गए।

6. प्रतिवादी हाकम अली खां की ओर से मौखिक साक्ष्य के दौरान स्वयं को डी.ड.01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाई गई।

7. अपील के आधारों में अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 पारित करने में न्याय के सामान्य सिद्धांतों की अवहेलना की है व उक्त निर्णय, आदेश व डिक्री पारित करने में घोर विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री की सही तौर पर विवेचना नहीं की है। विवाद्यक सं. 1 कतई वादीनी के पक्ष में प्रमाणित नहीं था। अंत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय का आलौच्य निर्णय, आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.2020 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

8. अपील पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित अपील के आधारों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 तथ्यों, कानून व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने पुरजोर शब्दों में तर्क प्रस्तुत किया कि डीडवाना मुख्यालय पर कुटुंब न्यायालय स्थापित है और कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता श्रीमान्

अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना को तत्समय दी हुयी थी। जहां पर कुटुंब न्यायालय स्थापित हो, वहां पर वैवाहिक संबंधी कोई भी वाद कुटुंब न्यायालय में ही पेश होना चाहिए और ऐसे वादों की, जहां पर कुटुंब न्यायालय स्थापित हो, सुनवाई का क्षेत्राधिकार एकमात्र कुटुंब न्यायालय को ही प्राप्त है, जबकि प्रत्यर्थी की ओर से हस्तगत वाद सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के न्यायालय में पेश किया गया है जिनको हस्तगत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के बावजूद भी उक्त वाद की पूर्णतः सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित डिक्री पारित की गयी है, जो किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं होने से विद्वान विचारण न्यायालय का आलौच्य निर्णय/डिक्री अपास्त किए जाने योग्य होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने का निवेदन किया है ।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुये दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय/डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा क्षेत्राधिकार का बिंदु विचारण न्यायालय के समक्ष तत्समय नहीं उठाया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी उक्त बिंदु उठाने का अधिकारी नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यानुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित किया है जो किसी भी तरह से विधि विरुद्ध नहीं है। अंत में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर आलौच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

    1. FAO 290/2022 Delhi High Court, Hanuman Prasad sharma@HP Sharma Vs. J. Mithyleshwar Dated 25.03.2026

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया, अभिलेख का समग्रता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के दौरान आलौच्य संपूर्ण निर्णय व डिक्री के संबंध में आक्षेप कर उक्त संपूर्ण निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का निवेदन किया है तथा दौराने बहस अपीलार्थी की मुख्यतः यही बहस रही है कि हस्तगत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना को नहीं होने के बावजूद उक्त निर्णय व डिक्री पारित किए गए, जो किसी भी रूप से सही नहीं

होने से अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

11. इस संबंध में कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 का अध्याय 3 अधिकारिता के संबंध में है, जिसकी धारा 7(1)(क) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया हुआ है कि, ''कुटुंब न्यायालय को, स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत्, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य पूर्ण अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा।''

12. इसी तरह कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 8(क) के प्रावधानानुसार, ''धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय को, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, उस उपधारा के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी वाद या कार्यवाही के बाबत् कोई अधिकारिता नहीं होगी या वह उसका प्रयोग नहीं करेगा''

13. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 8 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के उपरांत सिविल न्यायालय को वाद में कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी या वह उसका प्रयोग नहीं करेगा। उक्त विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसके मुताबिक वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही में सुनवाई का क्षेत्राधिकार कुटुम्ब न्यायालय को ही दिया गया है तथा सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित की गयी है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी **बलराम यादव बनाम फुलमनिया यादव AIR 2016 SC 2161** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''In case, there is a dispute on the matirimonial status of any person, a diclartion in that regard has to be sought only before the family court. It makes no defference as to whether it is an affirmative relief or a negative relief. ''

15. इसी प्रकार से माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भी **नीलम दादासाहेब शेवाले बनाम दादासाहेब बन्धु शेवाले** 2010(2) **CCC** 759 (**Bombay**) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''Family Court has jurisdiction to decide the suit/application for permanent/interim injuction arising out of marital relationship.''

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया है कि

अनुतोष सकारात्मक प्रकृति का हो या नकारात्मक प्रकृति का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है तथा वैवाहिक संबंध से उत्पन्न विवादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल पारिवारिक न्यायालय को ही है।

17. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 20 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि ''इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में तत्संगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।''

18. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में रूपयों की वसूली संबंधी वाद था, जबकि हस्तगत प्रकरण मुस्लिम विवाह (निकाह)के तलाक के संबंध में होने से विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से प्रत्यर्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

19. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्राधिकार का बिन्दु किसी भी मामले में महत्वपूर्ण बिन्दु होता है, जिस बारे में विचारण के दौरान यदि पक्षकारान ने कोई आपत्ति नहीं भी की है, तो भी संबंधित न्यायालय किसी प्रकरण की सुनवाई के संबंध में अपनी अधिकारिता को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिस बाबत हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं रखा जाना दर्शित होता है ।

20. अतः कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के विधिक प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में उक्त विवेचनानुसार वादीया/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा तलाक एवं डिक्री की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायाधीश, डीडवाना के न्यायालय को नहीं होने के बावजूद उनके द्वारा हस्तगत दावे की सुनवाई कर जो आलौच्य निर्णय/डिक्री पारित की गयी है, वह विधिक रूप से एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं होने से विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय/डिक्री दिनांक 03.03.2020 अपास्त किए जाने योग्य पाया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

–आदेश–

21. परिणामतः अपीलार्थी हाकम अली खां पुत्र असगर खां, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम सरदारपुरा कला, पोस्ट छोटी छापरी, तह. डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज. की ओर से प्रस्तुत यह अपील, विरुद्ध प्रत्यर्थी रूखसार बानो पत्नी हाकम अली खां पुत्री मुराद खां, उम्र 26 साल, निवासी छोटी छापरी (छापरी खुर्द) तह. डीडवाना, जिला डीडवाना–

कुचामन, राज. विरुद्ध विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, डीडवाना के दीवानी मूल प्रकरण सं. 26/2018 बउनवान रूखसार बानो बनाम हाकम अली में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 निरस्त की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि वह नये सिरे से वाद बाबत् घोषणा तलाक व डिक्री का संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना ।

22. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना ।